I/8449998/2025

01/2025/
संख्या- ∧ 78/52-2-2025

प्रेषक,

रमेश चन्द्र,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश,

इन्दिरा भवन, लखनऊ ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 08 ∧ **जनवरी, 2025**

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या- 48 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4070 के मानक मद-14 में मोटर गाडियों का क्रय, में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष इनोवा वाहन के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या -2701/अ0सं0क0नि0-नजारत-वाहन क्रय/2024-25 दिनांक 13.09.2024, पत्र संख्या-3432/अ0सं0क0नि0-नजारत-वाहन क्रय/2024-25 दिनांक 07.11.2024, पत्र संख्या-3533/अ0सं0क0नि0-नजारत-वाहन क्रय/2024-25 दिनांक 13.11.2024 एवं पत्र संख्या-3917/अ0सं0क0नि0-नजारत-वाहन क्रय/2024-25 दिनांक 13.12.2024 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभागाध्यक्ष के प्रयोगार्थ इनोवा वाहन क्रय किये जाने की अनुमति सहित वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या 48 के "लेखा शीर्षक 4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय-03-अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय -14-मोटर गाडियों का क्रय" मद में प्राविधानित धनराशि रु0 20.00 लाख की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृति धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक

हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

4. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 58/2023/ 1621/18-2-2023/18-2099/372/2023-(ल०उ0)/2014 दिनांक 21 दिसम्बर, 2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार जेम पोर्टल से इनोवा वाहन क्रय की कार्यवाही की जाएगी।
5. प्रस्तावित वाहनों का क्रय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेशों में निर्धारित सीमा/व्यवस्था के अन्तर्गत किया जायेगा।
6. प्रश्नगत वाहन का क्रय जेम पोर्टल के अनुसार न्यूनतम दरों के अन्तर्गत किया जायेगा।
7. निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 द्वारा यह सुनिश्चित जायेगा कि प्रश्नगत क्रय की कार्यवाही की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) न हो।
8. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
9. प्रश्नगत क्रय हेतु वाहन की गुणवत्ता, विशिष्टियों एवं वरीयता को सुनिश्चित करने का समस्त उत्तरदायित्व निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 का होगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा ऑनलाईन उत्पन्न संख्या- E-4-129-X-2024-25-दिनांक: 07-01-2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

Signed by
(रमेश चन्द्र)
Ramesh Chandra
विशेष सचिव।
Date: 08-01-2025 11:31:59

01/2025/78

संख्या- ८ (1)/बावन-1-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को अपर मुख्य सचिव महोदया के अवलोकनार्थ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4 उत्तर प्रदेश शासन।
7. लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Mumtaz Ahmad Siddiqui
Date: 08-01-2025 11:48:53

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनुसचिव